राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांकः प.1(195)नविवि/जयपुर/2016 जयपुर दिनांक : 24 MAY 2017

बैठक कार्यवाही विवरण

आज दिनांक 16.05.17 को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में पूर्व में जिला कलक्टर द्वारा लघु अवधि के लिये दी गई लीज भूमि के नगरीय क्षेत्र में आ जाने से लीज राशि व लीज वसूली, नवीनीकरण के क्षेत्राधिकार बाबत बैठक रखी गई। जिसमें निम्न अधिकारीगण उपस्थित रहेः–

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग।
2. प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग।
3. आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
4. जिला कलक्टर, जयपुर।
5. विशिष्ठ शासन सचिव, विधि विभाग।
6. संयुक्त शासन सचिव–प्रथम, नगरीय विकास विभाग।
7. उप विधि परामर्शी, नगरीय विकास विभाग।

बैठक में चर्चा के पश्चात निम्न निर्णय लिये गयेः–

1. नगरीय विकास विभाग द्वारा जारी आदेश दिनांक 01.08.16, जिसके द्वारा प्राधिकरण/न्यास क्षेत्र के ग्रामों से सम्बन्धित कलक्टर द्वारा किये जाने वाले राजस्व सम्बन्धित पत्रावलीयों के हस्तान्तरण बाबत निर्देश दिये गये थे, को विड्रा किया जाये व लीज नवीनीकरण की कार्यवाही सम्बन्धित जिला कलक्टर द्वारा ही की जाये। नगरीय विकास अपने स्तर पर नियम बनाने की कार्यवाही शुरू करावें। उक्त नियम लागू होने के बाद नगरीय निकायों के स्तर पर लीज नवीनीकरण का कार्य किया जाए।
2. राजस्थान इण्डस्ट्रीयल एरिया अलॉटमेन्ट रूल्स (1959) के अन्तर्गत लीज पर रिको द्वारा दी गई भूमि के संबंध में रीको द्वारा यथावत कार्यवाही की जावेंगी।
3. कृषि भूमि जो राजस्व विभाग के अधीन थी, उस पर तत्कालीन जिला कलक्टर द्वारा लघु अवधि की लीज दी गई है। उक्त क्षेत्र कालान्तर में नगरीय विकास विभाग के शहरी क्षेत्र में आ जाता है तो ऐसी स्थिति में उक्त भूमि पर दी गयी लीज जब तक अवधि रहेगी यथावत चलती रहेंगी। अवधि समाप्त होने के बाद नगरीय विकास विभाग के नियमों के अन्तर्गत लीज नवीनीकरण किया जावेंगा। इस बाबत नगरीय विकास विभाग अपने नियमों में आवश्यक संशोधन करेंगा।

तत्पश्चात बैठक सधन्यवाद् समाप्त हुई।

आज्ञा से,

23/5/17

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
संयुक्त शासन सचिव–प्रथम

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग।
3. आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
4. जिला कलक्टर, जयपुर।
5. विशिष्ठ शासन सचिव, विधि विभाग।
6. वरिष्ठ शासन उपसचिव, नविवि को प्रेषित कर लेख है कि विभाग की साईट पर अपलोड कराये।

23/5/17

संयुक्त शासन सचिव–प्रथम